

**समाहरणालय, जहानाबाद**

(जिला स्थापना शाखा)

फोन नं० :- 06114-223001, 223004

फैक्स नं० :- 06114-223142

ई-मेल :- dm-jehanabad.bih@nic.in

पत्रांक-सं० सं०-XV-34/12 **1451**/स्था०,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,  
जहानाबाद।

सेवा में,

निदेशक,  
सूचना एवं जन संपर्क विभाग,  
बिहार, पटना।

जहानाबाद, दिनांक **25** अक्टूबर 2012


विषय :-  
महाशय,

संविदा पर नियोजन संबंधी विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय को सुदृढ़ करने हेतु संविदा के आधार पर प्रारूपक एवं प्रोसेस पियुन का नियोजन संबंधी सूचना एवं विहित प्रपत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु संलग्न कर भेजा जा रहा है। साथ ही उक्त सूचना की सी०डी० भी संलग्न किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि इस सूचना को राज्य स्तरीय दो समाचार पत्रों में लगातार दो दिनों तक प्रकाशित करवाने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

  
जिला पदाधिकारी,  
जहानाबाद।

# कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता, जहानाबाद

(जिला स्थापना शाखा)

फोन नं० :- 06114-223001, 223004

फैक्स नं० :- 06114-223142

ई-मेल :- dm-jehanabad.bih@nic.in


## प्रारूपक तथा प्रोसेस पियुन के पद पर संविदा आधारित नियोजन हेतु सूचना :-

जहानाबाद जिला में भूमि सुधार उप समाहर्ता, जहानाबाद के कार्यालय को सुदृढ़ करने हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-04 क्षेत्र 0 स्था 0 सेवा नीति 01/2010-259(4)/रा0, दिनांक 12.0.2012 के आलोक में निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति हेतु भारतीय नागरिकों से कोटिवार रिक्ति के अनुरूप आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र०	पदनाम	कुल पद	अनारक्षित	अनु० जा०	अनु० जन जा०	पि० वर्ग	अ० पि० वर्ग	योग्यता
01	प्रारूपक	01	01	—	—	—	—	(1) आवेदक की शैक्षणिक योग्यता प्रवेशिकोत्तीर्ण (मैट्रिक) हो। (2) ITI अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में ड्राफ्टमैन ट्रेड में उत्तीर्णता। (3) पोल्टेक्निक से ड्राफ्टमैन में डिप्लोमाधारी को प्राथमिकता दी जायेगी।
02	प्रोसेस पियुन	01	01	—	—	—	—	(1) प्रवेशिकोत्तीर्ण (मैट्रिक) हो। (2) स्वस्थ तथा साईकिल चलाने का अनुभव हो। (3) सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा वर्ग "घ" के लिए निर्धारित अर्हता रखते हों।

### नियोजन का शर्त :-

- (1) यह नियोजन संविदा के आधार पर केवल एक वर्ष तक के लिए किया जायेगा।
- (2) संविदा की अवधि के समाप्ति पर ऐसा नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इस हेतु कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा। आवश्यकतानुसार इसका विस्तार किया जायेगा।
- (3) इस तरह के नियोजित व्यक्ति का इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगा। सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
- (4) इस नियोजन के आधार पर भविष्य में नियमित, अस्थायी या स्थायी नियुक्ति हेतु अथवा अन्य कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
- (5) संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी।
- (6) नियोजन के पूर्व नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (7) इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि की समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि का एकमुश्त भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी।
- (8) न्यूनतम आयु सीमा-18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्धारित के अनुसार।
- (9) एक आवेदक एह ही पद हेतु आवेदन देंगे।
- (10) आवेदन जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के नाम सिर्फ निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से दिनांक 10.11.2012 तक 5:00 बजे अपराहन तक स्वीकार किया जायेगा।
- (11) आवेदन [www.jehanabad.bih.nic.in](http://www.jehanabad.bih.nic.in) से Download किया जा सकता है।

  
जिला पदाधिकारी,  
जहानाबाद।

